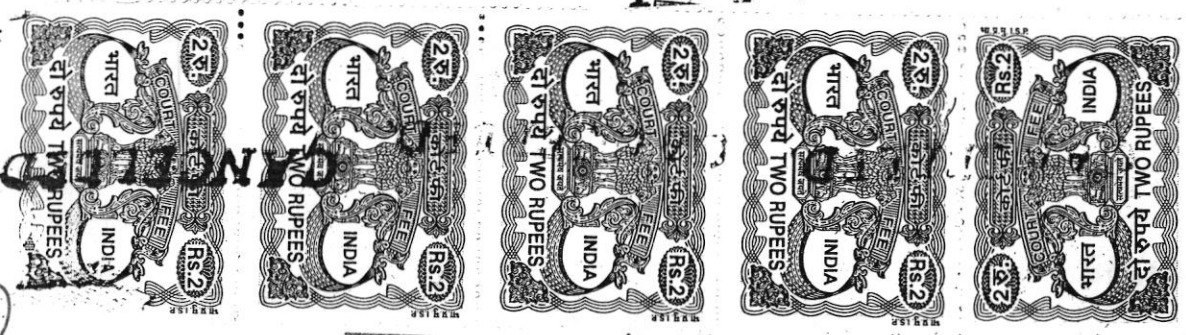

न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र. केम्प सागर

रामेश्वर गर्ग उम्र 70 वर्ष पिता श्री रामसहाय गर्ग

निवासी जोरतला कलां पोस्ट खोजाखेड़ी तहसील पथरिया जिला दमोह म.प्र.

मो. नं. 8085786706

I/निगरानी/दमोह/भू.रा/2018/0677 ....पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

नीलेश उम्र 45 वर्ष वल्द श्री रामेश्वर तिवारी

निवासी जोरतला कलां पोस्ट खोजाखेड़ी तहसील पथरिया जिला दमोह म.प्र.

.........अनावेदक

पुनरीक्षण क्रमांक

तारीख प्रस्तुति 26/12/2017

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा. संहिता

पुनरीक्षणकर्ता की निम्न प्रार्थना है

(1) यह कि पुनरीक्षणकर्ता ने यह पुनरीक्षण नायब तहसीलदार पथरिया जिला दमोह के द्वारा अभिलेख दुरूस्ती बाबत अनावेदक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक 10 अ 5 वर्ष 2016-17 में प्रकरण में 25/09/2017 को की गई कार्यवाही जिसमें पुनरीक्षणकर्ता को कोई जानकारी दिये बिना मनमाने तरीके से अनावेदक की साक्ष्य लेकर तथा पुनरीक्षणकर्ता को प्रतिपरीक्षण का अवसर न देकर विधिविरूद्ध कार्यवाही किये जाने से परिवेदित होकर नकल प्राप्ति में लगे समय को छोड़कर न्यायालय खुलने के प्रथम दिन ही निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है

।।पुनरीक्षण के तथ्य।।

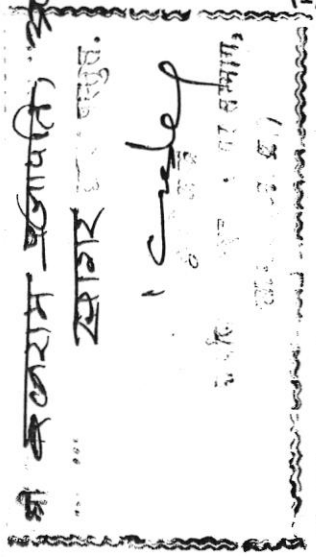

पुनरीक्षण प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक नीलेश ने नायब तहसीलदार पथरिया के समक्ष एक प्रकरण 31/01/2017 को इस आधार पर प्रस्तुत किया कि उसकी मौजा जोरतलाकलां प.ह.न. 26/27 रा.नि.म. सदगुवा तहसील पथरिया में स्थित भूमि का पुराना खसरा नं. 340/01 रकबा 0.409 हेक्टेयर था। उपरोक्त भूमि आवेदक के दादा सुदामा पिता रामदयाल गजाधर गुपाल पिस. हरप्रसाद के नाम से शामिल शरीख दर्ज थी उक्त भूमि का आवेदक के पिता एवं चाचा के बीच 10/06/1985 को लिखित पारिवारिक बटवारा हुआ था। उपरोक्त बटवारे में आवेदक के चाचा ने अपने हक व हिस्से की भूमि को बेच दिया है उपरोक्त भूमि में आवेदक के अलावा अन्य किसी का कोई हिस्सा नहीं है आवेदक अपने हिस्से के 0.20 हेक्टेयर

(57)

रामेश्वर गर्ग विरूद्ध नीलेश आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – एक/निग0/दमोह/भू.रा./2018/677 जिला – दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22–1–18	श्री बलराम प्रजापति उपस्थित । उन्हें प्रकरण की पर सुना गया । आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदक के साक्षियों के कथन अंकित करने के उपरांत प्रकरण राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी की साक्ष्य हेतु नियत किया है । आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदकों के प्रतिपरीक्षण कराये जाने के संबंध में आवेदन/आपत्ति क्यों नहीं की गई इस संबंध में कोई कारण आवेदक अधिवक्ता नहीं बता सके । दर्शित परिस्थिति में इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही में निगरानी के माध्यम से आदेश में हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है । उस आवेदन पर का कोई आवेदन अतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । प्रशा0 सदस्य	